

प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा।

सेवा में

1. अतिरिक्त श्रम आयुक्त गुडगांव।
2. सभी उप श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य।
3. सभी सहायक श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य।
4. सभी श्रम निरीक्षक, हरियाणा राज्य।
5. कल्याण अधिकारी (महिला) फरीदाबाद एवं पानीपत।

कमांक: आई0आर0-2/ 29994-395

दिनांक: 28.8.18

विषय: न्यूनतम वेतन को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ना तथा उसमें दिनांक 01-07-2018 से बढ़ोतरी बारे।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में।

सरकार की अधिसूचना दिनांक 21-10-2015 द्वारा भिन्न-भिन्न रोजगारों में दिनांक 01-11-2015 से न्यूनतम वेतन पुनः निर्धारित किए गए हैं और यह कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जुड़े हैं। इन आंकड़ों में हुई बढ़त/घटत के आधार पर प्रत्येक छः मास के पश्चात् न्यूनतम वेतन में बढ़त/घटत होती रहती है।

जैसा की उपर वर्णित है इन आंकड़ों में हुई बढ़त/घटत के आधार पर प्रत्येक छः मास के पश्चात् (1 जनवरी व 1 जुलाई) न्यूनतम वेतन में बढ़त/घटत होती रहती है। अर्थ तथा सांख्यिकीय सलाहकार, हरियाणा से जुलाई 2017 से दिसम्बर, 2017 तक हरियाणा राज्य कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में औसत घटत/बढ़त की सूचना प्राप्त हुई है जो कि निम्न प्रकार से है:-

जनवरी, 2018	1119 (2417)
फरवरी, 2018	1115 (2408)
मार्च, 2018	1115 (2408)
अप्रैल, 2018	1119 (2417)
मई, 2018	1122 (2424)
जून, 2018	1127 (2434)
औसत	1120 (2418)

इस बारे यह बताया जाता है कि दिसम्बर, 2017 को समाप्त हुई अर्धवर्ष में मूल्य 2404 था और मास जून, 2018 में अर्धवर्ष की समाप्ति के बाद मूल्य सूचकांक 2418 हो गया है इस प्रकार मूल्य सूचकांक में 14 अंकों की बढ़ोतरी हुई है। हरियाणा सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 21-10-2015 जो कि प्रथम नवम्बर, 2015 से लागू है, में न्यूनतम वेतन की तटस्थीकरण दर 100 प्रतिशत है। जिस अनुसार न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 5(2) के तहत दिनांक 01-01-2018 से विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों की मासिक और दैनिक वेतन में 0.58 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। तदानुसार अकुशल श्रमिक के मूल वेतन पर मंहगाई भत्ता रुपये 328.52, अर्धकुशल(ए) श्रमिक के मूल वेतन पर रुपये 344.95 और कुशल(ए) के मूल वेतन पर रुपये 380.30 इतनी बढ़ोतरी हुई है। तदानुसार दिनांक 01-07-2018 से हरियाणा राज्य में न्यूनतम वेतन दरें निम्न अनुसार देय बनती हैं:-


क्रम संख्या	श्रेणी	पद/योग्यता	मूल वेतन (रु०)	दिनांक 01.01.18 से लागू न्यूनतम वेतन (रु०) (क)	मंहगाई भत्ता 01.07.18 से लागू (रु०) (ख)	कुल वेतन (रु०) (क+ख)	दैनिक वेतन (रु०)
1.	अकुशल		7600.00	8497.56	44.08	8541.64	328.52
2.	अर्धकुशल (ए) (बी)		7980.00 8379.00	8922.43 9368.54	46.28 48.59	8968.71 9417.13	344.95 362.19
3.	कुशल (ए) (बी)		8797.95 9237.85	9836.97 10328.83	51.02 53.57	9887.99 10382.40	380.30 399.32
4.	उच्च कुशल		9699.74	10845.27	56.25	10901.52	419.28
5.	लिपिकीय तथा सामान्य स्टाफ	(i) मैट्रिक से कम (ii) मैट्रिक लेकिन स्नातक नहीं (iii) स्नातक या उपर (iv) स्टेनो टाईपिस्ट (v) कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक (vi) वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक (vii) निजी सहायक (viii) निजी सचिव	7980.00 8379.00 8797.95 8379.00 8797.95 9237.85 9699.74 10184.73	8922.43 9368.54 9836.97 9368.54 9836.97 10328.83 10845.27 11387.53	46.28 48.59 51.02 48.59 51.02 53.57 56.25 59.07	8968.71 9417.13 9887.99 9417.13 9887.99 10382.40 10901.52 11446.60	344.95 362.19 380.30 362.19 380.30 399.32 419.28 440.25
6.	डाटा एन्ट्री आपरेटर		8797.95	9836.97	51.02	9887.99	380.30
7.	चालक	हल्का वाहन भारी वाहन	9237.85 9699.74	10328.83 10845.27	53.57 56.25	10382.40 10901.52	399.32 419.28
8.	सुरक्षाकर्मी	बिना वाहन शस्त्र सहित	7980.00 9237.85	8922.43 10328.83	46.28 53.57	8968.71 10382.40	344.95 399.32
9.	सुरक्षा निरीक्षक/ सुरक्षा अधिकारी/ सुरक्षा सुपरवाइजर		9699.74	10845.27	56.25	10901.52	419.28
10.	सफाई कर्मचारी किसी भी नियोजन में		8100.00	9056.61	46.98	9103.59	350.13

Signature

उपरोक्त के अतिरिक्त ईट भट्टा उद्योग के रेटस में बढौतरी निम्न प्रकार से है:-

क्रम सं०	कर्मचारियों का प्रवर्ग	ईट प्रति एक हजार	टाईल प्रति एक हजार
1.	पथेरा	486.67 रुपये	547.51 रुपये
2.	भराई वाला(भट्टों में ईटों की भराई)	(क) 218.99 रुपये प्रति हजार ईट भट्टे में भरना परन्तु खेत से भट्टे तक की दूरी 400 मीटर तक हो। इस दूरी से अधिक अतिरिक्त मजदूरी 19.44 रुपये प्रति हजार प्रत्येक 100 मीटर या इसके भाग पर दी जायेगी। यह दरें केवल गधे/खच्चर की पीठ पर लादकर भरने वालों पर ही लागू होंगी। (ख) एक हजार मीटर दूरी तक 180.05 रुपये प्रति हजार ईट टैम्पू या पशु चलित रेहडी या किसी अन्य यान्त्रिक चलित वाहन से ईटे भट्टों से भरना। इस दूरी से अधिक अतिरिक्त मजदूरी 19.44 रुपये प्रति हजार प्रत्येक 500 मीटर या इसके भाग पर दी जायेगी।	
3.	कैरीवाला	38.91 रुपये प्रति एक हजार ईट	
4.	निकासी वाला	160.59 रुपये प्रति एक हजार ईट	
5.	चुनाई वाला	9887.99 रुपये प्रति मास	
6.	मिस्त्री/कोलमैन/जलाई वाला	9887.99 रुपये प्रति मास	

अतः आपको निर्देश दिये जाते हैं कि आप अपने-2 क्षेत्रों के प्रबन्धकों से उक्त निर्धारित दरों को पूर्ण लागू करवायें तथा श्रमिकों को न्यूनतम वेतन दिलाना सुनिश्चित करें।



कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।
28/11/18

पृष्ठांकन क्रमांक : आई0आर0-2/ 2 4396-458

दिनांक: 22. 11. 18

इसकी एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :-

1. निजी सचिव, मु0 मंत्री को मुख्य मंत्री हरियाणा के सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, श्र0 मंत्री को श्रम मंत्री हरियाणा के सूचनार्थ।
3. निजी सचिव वि0 आ0 एवं प्र0 स0, को वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा, श्रम विभाग के सूचनार्थ।
4. निजी सचिव श्र0अ0 को श्रम आयुक्त, हरियाणा के सूचनार्थ।
5. श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, भारत सरकार श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
6. निदेशक सूचना, लोक सम्पर्क एवं सात्कृतिक गतिविधियाँ विभाग, हरियाणा चण्डीगढ़।
7. निदेशक, विकास पंचायत, विभाग, प्लॉट नं 3/28-ऐ हरियाणा चण्डीगढ़।
8. निदेशक, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, हरियाणा।
9. निदेशक, पशुपालन विभाग, हरियाणा, पंचकुला।
10. निदेशक, शहरी विकास, हरियाणा, चण्डीगढ़।
11. निदेशक, कृषि विभाग, हरियाणा, पंचकुला।
12. निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़।
13. प्रबंधक निदेशक, हरियाणा डेयरी विकास निगम, पंचकुला।
14. प्रबंधक निदेशक, हैफेड, हरियाणा, पंचकुला।
15. आयुक्त, राज्य परिवहन, हरियाणा, चण्डीगढ़।
16. रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, हरियाणा, पंचकुला।
17. सभी जिला उपायुक्त, हरियाणा राज्य।
18. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (जन स्वास्थ्य), हरियाणा, चण्डीगढ़।
19. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (भवन व मार्ग), हरियाणा, चण्डीगढ़।
20. मुख्य प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पंचकुला।
21. मुख्य वनपाल, हरियाणा, पंचकुला।
22. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, हरियाणा, पंचकुला।
23. सचिव, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड, पंचकुला।
24. सभी अधिकारी, (मुख्यालय)
25. आई0टी0 अनुभाग।


कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।
28/11/18

Regulatory ALERT

31st August 2018

Regulatory ALERT



TeamLease is uniquely positioned to address the requirements in the domain of regulatory and labour law compliances. At TeamLease, our key focus is to translate the knowledge on upcoming developments in the area of Labour Law Compliances.

We thought one such way to solve that is through our, "Regulatory ALERT" system. This will provide information on recent regulatory changes happened in Labour Laws and also explains the implications and says how to implement those changes in order to make the regulatory functioning Smooth.

We had extended this platform to all our esteemed clients to create awareness on these changes in regulatory functioning so as to ensure complied in all Labour Law related areas.

Regulatory ALERT

31st August, 2018



Notifications and Circulars..,

Title: Revision in Minimum Wages for the State of Haryana.

Description: As per notification, Minimum Wages has been revised for the state of Haryana with effective from 1st July 2018.

Notified on : 28th August, 2018

Applicability: Applies to all scheduled employments as specified under Minimum Wages Act, 1948 to the **State of Haryana**.

Regulatory ALERT

31st August 2018



Team Lease Views Points and Required Actions:

Below mentioned Minimum Wages is applicable to all scheduled employments for the State of Haryana With effective from 1st July 2018

Minimum wages as on 30th June 2018				Minimum wages as on 1st July 2018			
Class of Employment	Basic Per Month	VDA Per Month	Total Per Month	Basic Per Month	VDA Per Month	Total Per Month	Difference in Total/Month
Highly Skilled	10,494	351	10,845	10,845	56	10,902	56
Skilled (B)	9,994	334	10,329	10,329	53	10,382	53
Skilled (A)	9,518	318	9,837	9,837	51	9,888	51
Semi Skilled (B)	9,065	303	9,369	9,369	49	9,417	49
Semi Skilled (A)	8,634	289	8,922	8,922	46	8,969	46
Unskilled	8,222	275	8,498	8,498	44	8,542	44

Overall, It is impact to the employers registered In Haryana there by increase in the employee cost in order to adhere the provisions of Minimum Wages Act, 1948